

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 73/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन (प्रथम), जोन-प्रथम, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स स्मृति ट्रेडिंग कारपोरेशन,
सी-87, शास्त्री नगर, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री डी.कुमार, अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 241/अपील्स-IV/08-09/ई में पारित आदेश दिनांक 10.09.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता-सप्तम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित केस दिनांक 10.02.2009 के निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी पर मांग राशि 81,000/- रुपये आरोपित की गई है जिसे अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.02.2009 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान शास्त्री नगर में नगर निगम के कार्यालय के पास टैम्पो नं0 आर.जे-14-जी.बी.-2307 को चैक किया गया। वक्त चैकिंग वाहन में कृष्णा ब्रान्ड देशी घी 100 टिन लदा पाया गया। वाहन में लदे माल से माल संबंधित बिल बिल्टी मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स स्मृति ट्रेडिंग कारपोरेशन का चालान नं. 314 एवं 315 प्रस्तुत किया गया। बिल के वैट इन्वाइस होने से इंकार किया। वाहन चालक से पूछने पर बयान किया कि यह माल प्रताप नगर (अजमेर बाईपास) मुरलीपुरा से भरा है तथा जयपुर शहर ले जाया जाएगा। वाहन चालक के पास माल परिवहनित करते समय कोई बिल बिल्टी नहीं पाये जाने के पर वाहन को मय माल रोका जाकर भवन लाया गया तथा प्रत्यर्थी-व्यवहारी को धारा 76(6) के अंतर्गत नोटिस जारी किया। अपीलार्थी व्यवहारी ने जवाब पेश किया जिससे असंतुष्ट होकर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत रुपये 2,70,000/- पर धारा 76(6) के तहत 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रुपये 81,000/- आरोपित की गयी जिसे यह अपील में विवादित किया गया है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जोन योग्य है। उन्होंने यह तर्क किया कि सक्षम अधिकारी ने विधि एवं तथ्यों के विपरीत शास्ति रूपये 81,000/- आरोपित की है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि माल स्थानीय ट्रांसपोर्ट में टैम्पो के माध्यम से परिवहनित किया जा रहा था, जिसके लिये ना तो जी.आर. की और ना ही ट्रांसपोर्ट चालान की आवश्यकता है। माल बेचने के लिये भेजा था, जिसके साथ वैट चालान संलग्न था जो कि नियमित चालान बुक जिसमें क्रमांक प्रिन्टेड थे, में से जारी किया गया था। अग्रिम कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(2) के तहत परिवहनित किये जाने वाले माल के सम्बन्ध में ट्रांसपोर्ट चालान या बिल्टी एवं माल का बिल या डिलीवरी चालान दोनों में से कोई एक होना आवश्यक है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने माल के सम्बन्ध में डिलीवरी चालान जारी किया था, जो वक्त चैकिंग उपलब्ध था। अतः धारा 76(2) की पालना होने से शास्ति आकर्षित नहीं होती है तथा शास्ति निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच माल से सम्बन्धित प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी वैट चालान संख्या 314 व 315 दिनांक 10.02.2009 प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। सक्षम अधिकारी ने माल परिवहन में वैट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में वैट अधिनियम की धारा 76(2) निम्न प्रकार है :-

76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement. -

(1).....

(2)The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set-up under sub-section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and

(e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

7. धारा 76(2)(b) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित चालान या बिल्टी, इन्वॉयस, निर्धारित घोषणा-पत्र एवं बिल होना बाध्यकारी है। हस्तगत प्रकरण में केवल चालान प्रस्तुत किया गया है। व्यवहारी द्वारा कारण बताओ नोटिस की पालना में माल से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। अतः धारा 76(2) के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होना प्रमाणित होता है। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण विधिक रूप से किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए शास्ति को अपास्त किया है। अतः अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

8. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलीय आदेश दिनांक 10.09.2009 अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)
अध्यक्ष